

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

:- 202/2019

कानाराम बनाम रामपाल

आज्ञा वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p>(3) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	